न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक R-1402-I/2010

।१० निगरानी

१- राममरोसे वरैठा पुत्र सूरजपाल ग्राम वहादुरपुरा, मजरा विछौली, तेहसील रौन जिला भिण्ड-म०प्र० ।

२- कैलाश,

३- कविलाश,

४- अमर सिंह,

५- धन सिंह पुत्रगण राममरोसे समी निवासी मजरा विछौली, तेहसील रौन जिला भिन्ड ।

------ प्रार्थीगण

बिरुध्द

१- जण्डेल सिंह (मृतक) पुत्र जान्नाथ सिंह वादहू वारिसान -

(१) श्रीमती प्रेमा देवी पत्नी स्व० जण्डेल सिंह,

(२) जीतबहादुर,

(३) गूंगा,

(४) प्रताप सिंह पुत्रगण स्व० जण्डेल सिंह,

२- मोगीराम पुत्र जान्नाथ सिंह,

३- नाथू सिंह पुत्र जान्नाथ सिंह,

४- विधाराम,

५- राम सिंह पुत्रगण संतावन सिंह, ग्राम वहादुरपुरा,

६- गोपी (मृतक) पुत्र प्यारेलाल वादहू वारिसान -

(१) श्रीमती वौहरी पत्नी स्व० गोपी

(२) रनवीर,

(३) सुखवीर,

(४) बलवीर पुत्रगण स्व० गोपी,

७- पोहपै (मृतक) पुत्र प्यारेलाल वावहू वारिसान
(१) मूरे (२) शिवराम दोनों पुत्रगण पोहपै,

८- रघुवीर पुत्र वलू श्रीवास,
सभी निवासीगण ग्राम विछौली तेहसील रौन,

९- जिलेदार सिंह मृतक वारिस श्रीमती जेठी पत्नी
जिलेदार,

१०- हुकुम सिंह पुत्र हुब्बलाल,

११- वृजराज

१२- रामविनोद सिंह पुत्रगण प्रेम सिंह,

१३- शीतल सिंह पुत्र अजान सिंह,

१४- मूरे सिंह,

१५- रामकुमार सिंह पुत्रगण प्रेम सिंह
निवासीगण बहादुरपुरा,

१६- जयराम पुत्र ग्यासी कुशवाह,

१७- देवी सिंह पुत्र कहोर कुशवाह,
सभी ग्राम विछौली तेहसील रौन जिला भिण्ड ।

------ प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी बिरुध्द आदेश अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग, मुरैना दिनांक ३०-७-१०, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश, भू-राजस्व संहिता १९५९। प्र०क्र० ३०९। ०५-०६-अपील ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों की आज्ञायें कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, अपीलीय न्यायालयों ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, विलम्ब के संबंध में प्रार्थीगण की ओर से प्रथम

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1402-एक/10 **जिला** - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16/5/19	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 309/अपील/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 30.07.2010 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा वर्ष 1997-98 में सहायक बंदोबस्त अधिकारी रौन के ग्राम बघेली बहादुरपुरा, ग्राम विछौली बहादुरपुरा, ग्राम भघेली बहादुरपुरा में कृषि भूमि का सत्यापन कर खसरा एवं नक्शे का प्रकाशन किया तथा आपत्तियां न आने पर वर्ष 1997-98 में अंतिम रूप दे दिया। इस कार्यवाही के विरुद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी लहार के समक्ष अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 31.05.2006 द्वारा अवधि वाह्य मानकर निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 30.07.2010 द्वारा अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी के मुख्य आधार यह हैं कि जब अभिलेख से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को प्रारंभिक न्यायालय में न तो व्यक्तिगत सूचना ही दी गई और न ही उनके समक्ष जांच ही की गई है, तब मात्र अनुमान के आधार पर प्रथम अपील को अवधि वाह्य मानने में भूल की है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि विलंब के संबंध में न्यायालय को लचीला रुख अपनाना चाहिए। इस संबंध में वरिष्ठ न्यायालयों ने अभिनिर्धारणों पर कोई विचार नहीं किया।	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि विलंब के संबंध में कोई खण्डन भी अभिलेख पर उपलब्ध न होते हुए भी विलंब को क्षमा किए जाने से इंकार किए जाने में भूल की है। 4/ अनावेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए यह निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है। 5/ उभयपक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक के निगरानी पत्रक के अनुसार बंदोबस्त के दौरान उसकी भूमि आराजी क्र. 555 नवीन 255 के भूमिस्वामी आवेदक क्र. 2 लगायत 5 थे। इस भूमि को कण्ठा पुत्र जगराम के नाम अंकित कर दिया गया। आराजी नं. 246 जिसका स्वामी आवेदक क्र. रामभरोसे है एवं इस भूमि पर बबूल एवं रामजा के पेड़ लगे हैं। यह भूमि अनावेदक क्र. 6 के नाम अंकित कर दी गई। सर्वे क्रमांक 2229 अनावेदक क्र. 6 के नाम आराजी नं. 24 नया नंबर 247 अनावेदक क्र. 9 लगायत 15 के नाम, सर्वे क्रमांक 249, 250 जो आवेदकों के नाम है, को अलग कर नया नंबर 445 अनावेदकगण 7, 8 के नाम अंकित किया गया है। आराजी क्र. 256/191 जो आवेदक क्र. 1 के नाम है तथा आराजी क्र. 256, 257 जो आवेदक क्र. 2 लगायत 5 के नाम है, को नया नंबर बनाकर उस भूमि पर अन्य व्यक्तियों को प्रवेशित कर दिया है। इसी प्रकार आराजी क्र. 54 जिस पर आवेदक का नलकूप लगा है। उस भूमि को अनावेदक क्र. 16, 17 को अवैध रूप से बंटित कर दिया है। आवेदकगण के आवेदन से यह स्पष्ट है कि उनकी पैतृक भूमि का एक बड़ा रकवा अन्य व्यक्तियों के नाम बंदोबस्त कार्यवाही में अंकित कर दिया है, किंतु ऐसी बृहद कार्यवाही का गुण-दोषों पर न तो अनुविभागीय अधिकारी ने और ना ही अपर आयुक्त ने कोई विचार किया है। जब आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में शपथ-पत्र पर यह अभिकथन किया है कि बंदोबस्त के दौरान हुए इस परिवर्तन के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं हुई। तब बिना आधार के यह कल्पना करना कि आवेदकगणों को इस कार्यवाही	

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1402-एक/10 **जिला** - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	की जानकारी थी और अपील निरस्त कर देना नियमानुकूल नहीं है। अपर आयुक्त के आलोच्य आदेश में वर्णित इस विवेचना से मैं सहमत नहीं हूँ कि अपीलार्थीगण को बंदोबस्त कार्यवाही की सूचना के प्रकाशन से जानकारी हुई होगी, क्योंकि उक्त बंदोबस्त कार्यवाही की सूचना का प्रकाशन कब हुआ, कैसे हुआ तथा यदि प्रकाशन हुआ तो वह नियमानुसार था अथवा नहीं। आदि प्रश्नों पर अपर आयुक्त द्वारा कोई परीक्षण नहीं किया गया। जब आवेदकगणों की पैतृक भूमि खुर्द-बुर्द होने का विषय इस प्रकरण में अंतर्निहित है तब मात्र परिसीमा अधिनियम का सहारा लेकर आवेदकगणों को उनके हक से वंचित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। अतएव उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य आदेश निरस्त करते हुए अनुविभागीय अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि वे गुण-दोषों के आधार पर प्रकरण का निराकरण करें। उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापस हो। 16/5 **(बी.एम. शर्मा)** **सदस्य**	